कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, भोपाल (म0प्र0)

क्रमांक **1611**/अजिंद/2020 भोपाल,दिनांक 06/06/2020

//संशोधित आदेश//

(अंतर्गत धारा 144 दण्ड प्रकिया संहिता 1973)

कार्यालयीन आदेश क्रमाक 1572–1573 दिनांक 1 जून 2020 के माध्यम से दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत आदेश जारी किया गया था, उक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए निम्नानुसार गतिविधियों में भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्र–28015/19/2020/EMR दिनांक 04.06.2020 द्वारा जारी SOP एवं संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं द्वारा जारी दिशा निर्देश दिनांक 06 जून 2020 अनुसार जिले में केवल कन्टेनमेंट क्षेत्र के बाहर स्थित शापिंग मॉल एवं होटल/रेस्टोरेंट दिनांक 08.06.2020 से खोले जाने हेतु सशर्त अनुमति प्रदान की जाती है एवं अन्य प्रतिबंध पूर्व में आदेशानुसार यथावत रहेंगे:–

1– जिले में केवल कन्टेनमेंट क्षेत्र के बाहर स्थित शापिंग मॉल (सिंगल अथवा मल्टी ब्रांड),होटल, रेस्टोरेंट दिनांक 08 जून 2020 से भारत सरकार, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के द्वारा दिनांक 04 जून 2020 के द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए खोलने की अनुमति रहेगी। परंतु समस्त धार्मिक स्थल पूर्ववत् ही पूर्णतः बंद रहेगें।

2– होटल/रेस्टोरेंट एवं शापिंग मॉल में सिनेमा हॉल, जिमनेशियम, स्वीमिंग पूल, स्पा, पार्क, बार, ऑडीटोरियम, एसेंबली हॉल, चिल्ड्रन प्ले एरिया, गेमिंग एरिया पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगें।

3– होटल/रेस्टोरेंट एवं शापिग मॉल के फूड कोर्ट में शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए 50 प्रतिशत तक की क्षमता से बैठक व्यवस्था की अनुमति रहेगी एवं 6 फिट का फिजिकल डिसटेंसिग का पालन किया जाना अनिवार्य होगा।

4– होटल/रेस्टोरेंट/शापिंग मॉल में किसी भी प्रकार की सभा/मीटिंग, गेदरिंग एवं किसी भी प्रकार के समारोह का आयोजन किया जाना प्रतिबंधित रहेगा।

5– शापिंग मॉल में स्थित समस्त दुकानों में एक समय में कम से कम /न्यूनतम व्यक्तियों को ही प्रवेश दिया जाये एवं 06 फिट का फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाना आवश्यक होगा।

6– भारत सरकार, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के द्वारा दिनांक 04 जून 2020 में जारी एस0ओ0पी0 एवं संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं द्वारा जारी दिशा निर्देश दिनांक 06 जून 2020 का पालन करना अनिवार्य है।

शेष कडिंकायें यथावत रहेंगी।

(कलेक्टर महोदय द्वारा आदेशित)

अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी
जिला–भोपाल

क्रमांक 1612/अजिंद/2020 भोपाल, दिनांक 06 जून 2020

प्रतिलिपि : सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1– प्रमुख सचिव,म0प्र0शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय भोपाल।
2– आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल।
3– अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक जिला भोपाल।
4– उप पुलिस महानिरीक्षक, शहर रेंज, भोपाल।
5– आयुक्त नगर पालिक निगम, भोपाल।
6– समस्त अपर जिला मजिस्ट्रेट, समस्त एडीएम/समस्त कार्यपालिक मजिस्ट्रेट भोपाल।
7– समस्त पुलिस अधीक्षक/समस्त अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक/समस्त नगर पुलिस अधीक्षक/समस्त थाना प्रभारी भोपाल।
8– केन्द्र निदेशक आकाशवाणी/दूरदर्शन भोपाल।
9– उप संचालक, संभागीय जनसंपर्क भोपाल की ओर सूचनार्थ।
10– प्रभारी अधिकारी पुलिस नियंत्रण कक्ष, जहाँगीराबाद भोपाल।

अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी
जिला–भोपाल